



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को थाना देवगांव पुलिस द्वारा 08 अन्तर्जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी के जेवरात, 03 बाइक, इन्वर्टर, बैट्री आदि सामान (कीमत लगभग 4.5 लाख रूपये) व अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया है।

थाना- देवगांव

चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण; 08 अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार; चोरी के जेवरात, 03 बाइक, इन्वर्टर, बैट्री आदि सामान (कीमत लगभग 4.5 लाख रूपये) व अवैध असलहा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.08.2024 को आवेदक मुन्सीलाल पुत्र पारस निवासी ग्राम तरफकाजी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोमती का ताला तोड़कर उसके अन्दर से सिलेन्डर, एकजास पंखा व तीन सौ रुपये का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 305 बी.एन.एस. बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 गौरव सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

दिनांक 20.08.2024 को आवेदक राजेश शुक्ला पुत्र स्व0 गया प्रसाद शुक्ला निवासी गोवर्धनपुर थाना देवगांव आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुसकर इनवर्टर, उसकी बैटरी, लैपटॉप और स्कूटी की चाबी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 306/2024 धारा 305 बी.एन.एस. थाना देवगांव आजमगढ़ बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 इल्ताफ खाँ द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अन्तर्जनपदीय चोर के गिरोह की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 23.08.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र, उ0नि0 सुरेश सिंह, उ0नि0 गिरिजेश यादव, उ0नि0 गौरव सिंह, उ0नि0 इल्ताफ खाँ मय हमराह को सूचना मिली कि तीन मोटर साइकिल पर सवार कुछ चोर केराकत की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर डोमनपुर बार्डर पर आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 03 बाइक सवार 08 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम 1. सत्यम यादव पुत्र रमेश यादव निवासी रूद्रपुर चेवार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 2. रोशन यादव पुत्र सुबेदार यादव उर्फ गोरख यादव निवासी कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 3. किशन सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी अबुसही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 4. कृष्ण कुमार चौहान उर्फ पिन्टू पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 5. आदर्श उर्फ अलगू यादव पुत्र बेचू यादव निवासी विशुनपुर बसंत थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 6. उमेश चौहान पुत्र सूरज बली निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 7. निश्चय सिंह पुत्र संदीप सिंह निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 8. दिवाकर पुत्र राधेश्याम निवासी सकरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर बताया।

पूछताछ व बरामदगी का विवरण:-

►पहली बाइक पर बैठे सत्यम यादव की तलाश से 01 चाकू, 01 वन प्लस मोबाईल तथा 500 रु0 बरामद हुआ तथा बरामद गाड़ी के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि यह गाड़ी चोरी की है। हम लोग मिलकर इस गाड़ी को चोरी किये थे।

►दूसरी बाइक पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति कृष्ण कुमार चौहान उर्फ पिन्टू तलाशी से 01 चाकू, 01 मोबाईल रियल मी तथा उमेश चौहान की तलाशी से 500 रु0 बरामद हुआ तथा बरामद गाड़ी पैशन प्लस के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि यह गाड़ी चोरी की है। हम लोग 14/07/2024 की रात्रि में गौराबादशाहपुर क्षेत्र में चोरी किये थे तथा चोरी में 2 बैटरी व 01 इन्वर्टर भी चोरी किये थे।

►तीसरी गाड़ी पर चालक सीट पर बैठे निश्चय सिंह की तलाशी से 01 तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर बरामद, दिवाकर की तलाशी से 01 तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर तथा 01 रेडमी मोबाईल बरामद हुआ। बरामद गाड़ी के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि यह गाड़ी चोरी की है जिसे दिनांक 26.06.2024 को गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र गौराबारी रोड़ शिव मन्दिर के पास दुकान से चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त निश्चय सिंह व दिवाकर ने बताये कि साहब इसके अलावा हम लोग व सत्यम के साथ मिलकर मेहनाजपुर में दिनांक 26.06.2024 के ही रात में सत्यम के साथ चोरी किये थे जिसमें T.V. व मोबाईल मिला था। जिसमें T.V. व की पैड मोबाईल बेच दिये तथा एन्ड्राएड सेट हम लोग जयगुरुदेव आश्रम के पास स्थित घर में रखे है।

तथा यह भी बताये कि दिनांक 17.05.2024 की रात्रि को मेहनाजपुर क्षेत्र दरिया नेवादा में भी घर में घूसकर चोरी किये थे जिसमें कान की बाली व नाक की नथुनी मिली थी। नाक की नथुनी हम लोग बेच दिये थे कान की बाली भी हम लोग उपरोक्त स्थान पर ही रखे है। बेचे गये T.V. व मोबाईल तथा नाक का नथुनी से मिले रूपये को हम लोग आपस में बाट लिये थे।

अभियुक्त कृष्ण कुमार उपरोक्त से पुछने पर बताया कि दिनांक 14.07.2024 की रात्रि को गौराबादशाहपुर क्षेत्र मे घर के अन्दर से दो बैटरी ओकाया कम्पनी, 01 इनवरटर माइक्रो टेप व पैशन प्लस अपने साथी आदर्श उर्फ अलगू तथा उमेश चौहान के साथ मिलकर चोरी किये थे बैट्री व इनवरटर जय गुरुदेव आश्रम के पास घर में रखे है।

कन्धरापुर थाना क्षेत्र में दिनांक 06.07.2024 को ताला तोड़कर दुकान से 5000 रूपया व CCTV व कैमरा का DVR अपने साथी उमेश चौहान व किशन सिंह उर्फ प्रियाशु सिंह के साथ मिलकर किये थे। DVR हम लोग बेच दिये थे तथा चोरी में मिले रूपया व बेचा गया DVR का रूपया हम लोग आपस में बराबर बराबर बाट लिये थे। उसी में का बचा 500 रूपया उमेश के पास बरामद हुआ है।

अभियुक्त सत्यम यादव उपरोक्त ने बताया कि अपने दोस्त दिवाकर व निश्चय के साथ दिनांक 17.05.2024 को मेहनाजपुर क्षेत्र तथा 26.06.2024 को मेहनाजपुर क्षेत्र में चोरी किये थे तथा यह भी बताया कि दिनांक 05.07.2024 को मै व रोशन यादव व उमेश चौहान कन्धरापुर थाना क्षेत्र में रात को उडेन टच भवरनाथ दुकान में दिवार के रास्ते प्रवेश कर कैश काउन्टर तोड़कर कैश काउन्टर से 20000 रू0 व कैश बाक्स में रखा 21 नग चादी का सिक्का तथा CCTV का DVR चोरी किये थे जो सिक्का व DVR भेज दिये थे चोरी में मिले रूपये तथा बेचे गये DVR व चांदी के सिक्के में मिले रूपये को हम लोग आपस में बाट लिये थे और रूपया खाने पीने में खर्च हो गया उसी में से चांदी के दो सिक्के मै जयगुरुदेव आश्रम के पास कमरे में छिपा कर रखा हूँ।

अभियुक्त आदर्श उर्फ अलगू ने बताया कि दिनांक 14.07.2024 को गौराबादशाहपुर क्षेत्र में कृष्ण कुमार व उमेश चौहान के साथ मिलकर मोटरसाईकिल की चोरी किया था पुनः पकड़े गये रोशन यादव से पूछताछ किया गया तो बताये कि दिनांक 05.07.2024 को अपने साथी सत्यम यादव व उमेश चौहान के साथ थाना क्षेत्र कन्धरापुर तथा किशन सिंह उर्फ प्रियाशु सिंह के साथ सुपर स्पलेन्डर की चोरी किये थे तत्पश्चात उमेश चौहान उपरोक्त से पूछा गया तो बताये की साहब दिनांक 14.07.2024 को थाना क्षेत्र गौराबादशाहपुर में अपने साथी कृष्ण कुमार, आदर्श उर्फ अलगू यादव व दिनांक 06.07.2024 को थाना क्षेत्र कन्धरापुर तथा दिनांक 05.07.2024 को अपने साथी सत्यम, रोशन के साथ थाना क्षेत्र कन्धरापुर में चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोगो के द्वारा बताया गया सामान जय गुरुदेव आश्रम के पास स्थित घर में रखा गया है।

इस पर जय गुरुदेव आश्रम के पास स्थित घर से 02 मोनो ब्लाक बरूणा कम्पनी व किल्लोस्कर तथा 01 हान्डा, 03 परात, 01 लोट, 02 सिक्का सफेद धातु, 02 कान की बाली पीली धातु, 01 अंगूठी, 01 लैपटाप HP COMPANY, 01 मोबाईल फोन, 01 सिलेन्डर, 02 बैट्री, 01 इन्वरटर बरामद हुआ।

लैपटाप, सिलेन्डर तथा मोनो ब्लाक के सम्बन्ध में पुनः पूछताछ करने पर कृष्ण कुमार चौहान उर्फ पिन्टू, दिवाकर, निश्चय सिंह ने बताये की साहब दिनांक 17/18.08.2024 की रात्रि गोवर्धनपुर में घर के अन्दर से इनवरटर बैट्री व लैपटाप चोरी किये थे। इनवरटर व बैट्री को बेच दिये थे उसी में का लैपटाप हम लोग रखे थे तथा यह भी बताये के दिनांक 05.8.2024 को कलीचपुर दुधरा गुमटी का ताला तोड़कर उसमें रखा सिलेन्डर व पंखा तथा 300 रूपया चोरी किया गया था जिसमें से पंखा फेरी वाले को बेच दिये थे।

बरामद मोनो ब्लाक पम्प के बारे में पूछा गया यह बताये की साहब किल्लोस्कर कम्पनी का मोने ब्लाक गौरा बादशाहपुर से तथा बरूणा कम्पनी का मोनो ब्लाक देवगांव से चोरी किया गया था तथा बरामद बर्तन उपरोक्त के बारे में सभी उपरोक्त पकड़े गये व्यक्तियों से पूछा गया तो सभी ने बताया कि साहब हम सभी लोग आपस में साथी है और भिन्न भिन्न जगहो से चोरी करके सामान को लाते है तथा एक जगह रखकर हम लोग बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लेते है। साहब बर्तन आदि की चोरी हम लोग भिन्न भिन्न जगहो से किये है। ज्ञात नहीं है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों को समय 01.25 बजे रात्रि को कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी आदि जनपदों में चोरी की घटना कारित करते थे।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण-

1. सत्यम यादव पुत्र रमेश यादव निवासी रूद्रपुर चेवार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. रोशन यादव पुत्र सुबेदार यादव उर्फ गोरख यादव निवासी कंजहित थाना देवागंज जनपद आजमगढ़
3. किशन सिंह उर्फ प्रियाशु सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी अबुसही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
4. कृष्ण कुमार चौहान उर्फ पिन्टू पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
5. आदर्श उर्फ अलगू यादव पुत्र बेचू यादव निवासी विशुनपुर बसंत थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
6. उमेश चौहान पुत्र सूरज बली निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
7. निश्चय सिंह पुत्र संदीप सिंह निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
8. दिवाकर पुत्र राधेश्याम निवासी सकरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी- (कीमत लगभग 4.5 लाख रूपयें)

- 1- 02 तमन्वा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतुस व 2 चाकु,
- 2- 03 मोटरसाइकिल, 01 लैपटाप, 02 बैटरी, 01 इन्वर्टर, 02 मोटर पम्प मोनोब्लाक,
- 3- 02 बाली, 1 अंगूठी पिली धातु, 02 सिक्का सफेद धातु व बर्तन 01 गैस सिलेण्डर 1 हण्डा, 3 परात, 1 लोटा
- 4- 01 एन्ड्रायड फोन व 1000 रु०

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 309/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

सत्यम यादव पुत्र रमेश यादव निवासी रूद्रपुर चेवार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०सं० 183/2023 धारा 399,402 भादवि थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
2. मु०अ०सं० 309/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

दिवाकर पुत्र राधेश्याम निवासी सकरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

1. मु०अ०सं० 112/2020 धारा 147,149,308,323,325,336,504,506 भादवि थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर
2. मु०अ०सं० 309/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

किशन सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी अबुसही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

1. मु०अ०सं० 80/2024 धारा 147,323,336,427,504,506 भादवि थाना चन्दवक जौनपुर
2. मु०अ०सं० 309/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

उमेश चौहान पुत्र सूरज बली निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०सं० 375/2023 धारा 323, 392, 411, 506 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 419/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 309/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र०नि० विनय कुमार मिश्र मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ०नि० सुरेश सिंह उ०नि० गौरव सिंह उ०नि० उ०नि० इल्ताफ खाँ मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

